ऑन लाईन नं RCMS-2014/00016

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील प्रकरण सं0 19/14

1. गुरदीप सिह
2. गुरदत्त सिंह
3. नर सिंह

पिसरान श्री कृपाल सिंह जाति रामगढ़िया निवासीयान चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रींगानगर

4. परमजीत सिंह
5. करमजीत सिंह
6. अंग्रेज सिंह

पिसरान श्री सरदूल सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति रामगढिया निवासीयान चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थीगण

बनाम

1. गुरचरण कौर पुत्री धनकौर व काकू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. बलवीर कौर जोजा मुख्त्यार सिंह (मृतक के विधिक उतराधिकारीगण)
   - 2/1 बूटा सिंह
   - 2/2 दर्शन सिंह

   पिसरान श्री मुख्त्यार सिंह जाति रामगढिया निवासीयान अरमगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. एस.बी.बी.जे. शाखा कृषि विकास शाखा, श्रीगंगानगर
4. स्टेट बैंक शाखा जे.सी.टी.मिल श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्री गंगानगर दिनांक 28–03–14

उपस्थित :

1. श्री काशीराम रणवां, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 2
3. श्री संजीव गुप्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03
4. श्री राजेन्द्र सिंह रखरा, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 04

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश दिनांक : 29.06.2017

हस्तगत अपील का सार इस प्रकार है कि अपीलांट नं 01 गुरदीप सिंह, चक 5 जी छोटी के अन्य मुरब्बा के साथ मुरब्बा नं 18 की 0.733 है. का, अपीलांट नं. 02 चक 5 जी छोटी के अन्य भूमि के साथ मुरबा नं 18 की 0.532 है. का, अपीलांट नं0 3 नर सिंह अन्य भूमि के साथ मुरब्बा नं 18 में 0.663 है. का व अपीलंट संख्या 4 ता 6 भी अन्य भूमि के साथ 0.632 है. के खातेदार हैं। मुरब्बा नं. 18 में अपीलांट नं. 3, 4 ता 6 इस भूमि के अतिरिक्त इस मुरब्बा न0 18 में अन्य भूमि के भी खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अपीलांटस को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना कोई जांच किये रेस्पोडेंटस के नाम से अपीलाधीन इंतकाल पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील से इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 1 गुरचरण कौर व बलवीर कौर मृतक जिसे रेस्पोडेन्टस नं 2 के रूप में दर्शाया गया है, के हक में निस्फ–निस्फ हिस्सा तस्दीक किये जाने का आदेश दिया गया है। बलवीर कौर का देहान्त सन् 1986 में ही हो चुका था। अपीलांट संख्या 1 व 3 के पिता व अपीलांट संख्या 4 ता 6 के दादा कृपाल सिंह ने वादग्रस्त भूमि के बारे में अपने अधिकारों की घोषणा व शाश्वत व्यादेश हेतु वाद सन् 1986 में दायर किया था। उक्त वाद में बलवीर के पुत्र दर्शन सिंह व बूटा सिंह को पक्षकार बनाया गया था और उक्त वाद संख्या 31/86 अनवानी कृपाल सिंह बनाम जंगीर कौर वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.01.1990 को कृपाल सिंह के हक में डिक्री कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील से जो इन्तकाल बलवीर कौर मृतक के पक्ष में तस्दीक किया है, वह मृतक व्यक्ति के हक में तस्दीक किया गया होने से मूल रूप से प्रभाव शून्य है। अपीलांट ने बलवीर कौर की मृत्यु होने से उसके वारिसान को रेस्पोडेंट संख्या 2/1 व 2/2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद ग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट की नानी धनकौर जो अपीलांट संख्या 1 ता 3 के पिता कृपाल सिंह की सगी भाभी थी। धनकौर को वादग्रस्त भूमि इन्द्र सिंह द्वारा केवल उसके जीवन पर्यन्त ही दी गई थी और उसकी मृत्यु के बाद यह सम्पत्ति कृपाल सिंह व उसके भाई उजागर सिंह को प्राप्त हो गई थी। रेस्पोडेंट का उस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं था, जिसका निर्णय हो चुका है। मुरब्बा नम्बर 18 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट की खातेदारी दर्ज है। रेस्पोडेंटस का इस भूमि पर कब्जा नहीं है। बिना कब्जे की जांच किये अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। कृपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 31/06 में कृपाल सिंह के पक्ष में डिक्री हुआ था जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट ने राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20.03.1993 को खारिज कर दी गई थी। इस आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील संख्या 75/1993 दायर की गई जो माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 02.09.1999 को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी व राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिये गए निर्णय निरस्त कर दिये गये थे। अपीलांट ने माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 02.09.1999 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय मे रिट याचिका संख्या 2950/1999 दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.08.1999 से माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 02.09.1999 स्थगित करने का आदेश दे दिया। दिनांक 18.08.1999 का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 25.01.2007 को स्थायी कर दिया था। इस आदेश की सूचना अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को दे दी गई थी। अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेने हेतु अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई जांच की गई। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 2950/1999 दिनांक 09.01.2014 को अपीलांट की अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज हो गई थी। अपीलांट द्वारा याचिका को पुनः बहाल करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2014 को प्रस्तुत किया गया और दिनांक 02.04.2014 के आदेश से याचिका संख्या 2950/1999 को पुनः मूल नम्बर पर बहाल कर दी गई। इस प्रकार याचिका के पुनः बहाल होने पर याचिका में जो दिनांक 25.07.2001 को स्थगन आदेश कनफर्म किया गया था, जो बहाल हो चुका था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा याचिका के बहाल होने की जानकारी पटवारी हल्का को दिनांक 22.03.2014 को दे दी थी और वादग्रस्त भूमि बैकों के पास रहन होने की सूचना भी दे दी थी। पटवारी हल्का ने उप–तहसीलदार चूनावढ़ से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना के संबंध में निर्देश चाहा था। उप–तहसीलदार चूनावढ़ ने अपने पत्र दिनांक 19.03.2014 से तहसीलदार से मार्गदर्शन मांगा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार निर्णय की पालना करने का आदेश कमांक 718 दिनांक 21.03.2014 उप–तहसीलदार चूनावढ़ को लिखा परन्तु पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.03.2014 को पुनः निर्देश मांग लिया। **इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के दौरान अपीलाधीन आदेश से इंतकाल स्वीकार किया गया हैं जो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र(5) के लम्बन काल के दौरान होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं।** अधीनस्थ न्यायालय को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के डिक्री निरस्त होने के कारण डिक्री के आधार पर रिकार्ड मे किये गए परिवर्तन की दुरस्ती धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र देकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेशानुसार भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट के नाम से तबदील किया जा सकता था। तहसीलदार को धारा 144 सीपीसी की कार्यवाही किये बिना व न्यायालय का आदेश लिये बिना इंतकाल तस्दीक करने का अधिकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि रेपोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पास अपीलांटस द्वारा रहन रखी जा चुकी थी और भूमि दोनों के पास रहन होने से अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक था जो नहीं दिया गया। इस प्रकार निवेदन किया हैं कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा हैं कि वसीयकर्ता इन्द्र सिंह की भूमि काकू सिंह की बेवा धनकौर को गुजारे के लिए दी गई थी। बाद में लड़को के नाम कर दी गई। धनकौर की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया। कृपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 31/06 कृपाल सिंह के पक्ष में डिक्री हुआ था जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट ने राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20.03.1993 को खारिज कर दी गई थी। इस आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील संख्या 75/1993 दायर की गई जो माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 02.09.1999 को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी व राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिये गए निर्णय निरस्त कर दिये गये थे। अपीलांट ने माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 02.09.1999 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2950/1999 दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.08.1999 से माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक02.09.1999 स्थगित करने का आदेश दे दिया। दिनांक 18.08.1999 का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 25.01.2007 को स्थायी कर दिया था। इस आदेश की सूचना अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को दे दी गई थी। अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेने हेतु अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई जांच की गई। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 2950/1999 दिनांक 09.01.2014 को अपीलांट की अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज हो गई

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

थी। अपीलांट द्वारा याचिका को पुनः बहाल करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2014 को प्रस्तुत किया गया और दिनांक 02.04.2014 के आदेश से याचिका संख्या 2950/1999 को पुनः मूल नम्बर पर बहाल कर दी गई। इस प्रकार याचिका के पुनः बहाल होने पर याचिका में जो दिनांक 25.07.2001 को स्थगन आदेश कनफर्म किया गया था, वह बहाल हो चुका था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा याचिका के बहाल होने की जानकारी पटवारी हल्का को दिनांक 22.03.2014 को दे दी थी और वादग्रस्त भूमि बैकों के पास रहन होने की सूचना भी दे दी थी। पटवारी हल्का ने उप–तहसीलदार चूनावढ़ से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना के संबंध में निर्देश चाहा था। उप–तहसीलदार चूनावढ़ ने अपने पत्र दिनांक 19.03.2014 से तहसीलदार से मार्गदर्शन मांगा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार निर्णय की पालना करने का आदेश कमांक 718 दिनांक 21.03.2014 उप–तहसीलदार चूनावढ़ को लिखा परन्तु पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.03.2014 को पुनः निर्देश मांग लिया। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के दौरान अपीलाधीन आदेश से इंतकाल स्वीकार किया गया हैं जो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के लम्बन काल के दौरान होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के डिक्री निरस्त होने के कारण डिक्री के आधार पर रिकार्ड मे किये गए परिवर्तन की दुरस्ती धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र देकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेशानुसार भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट के नाम से तबदील किया जा सकता था। तहसीलदार को धारा 144 सीपीसी की कार्यवाही किये बिना व न्यायालय का आदेश लिये बिना इंतकाल तस्दीक करने का अधिकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि रेपोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पास अपीलांटस द्वारा रहन रखी जा चुकी थी और भूमि दोनों के पास रहन होने से अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक था जो नहीं दिया गया। अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज 598, आर.आर.डी. 1995 पेज 772 एवं आर.एल.डब्ल्यू 1992 (1) पेज 622,ए0आई0आर0 1978 पेज 30 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। रिट का जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जायेगा, उसी अनुसार दोनों पक्षों पर निर्णय प्रभावी होगा।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि विवादित भूमि बैंक के पास रहन है तथा बैंक का जो ऋण शेष है, उसकी अदायगी सुनिश्चित कराई जानी चाहिये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 654 ग्राम 5 जी छोटी पटवार हल्का 9 जी छोटी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर तथा तहसीलदार, श्री गंगानगर के आदेश कमांक 717–718 दिनांक 21–3–14 व 734 दिनांक 25–3–14 द्वारा दिनांक 26–3–14 को खोला जाकर दिनांक 27–3–14 को भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा मिलान किया गया तथा दिनांक 28–3–14 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। इंतकाल के कॅलम सं0 7 के अनुसार अपीलाधीन रकबा परमजीतसिंह, कर्मजीतसिंह एवं अग्रेंजसिंह बहिस्सा बराबर जाति तरखान एस0बी0बी0जे0 बैंक शाखा कृषि विकास, श्री गंगानगर, गुरदीपसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति रामगढिया रहन एस0बीबी0जे0 बैंक कृषि विकास शाखा, श्री गंगानगर, गुरदत्तसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति रामगढिया रहन एस0बीबीजे0 बैंक शाखा श्रीगंगानगर, नरसिंह पुत्र कृपालसिंह जाति तरखान रामगढिया रहन स्टेट बैंक शाखा जे0सी0टी0 मिल, श्रीगंगानगर से मु0 गुरचरणकौर पुत्री मु0 धनकौर जोजा जवाहर सिंह निस्फ जोधेवाला, बलवीरकौर पुत्री धनकौर जोजा मुख्त्यारसिंह निस्फ कौम रामगढिया बहिस्सा बराबर साकिन अमरगढ खातेदारान एस0बीबी0जे0 बैंक शाखा कृषि विकास, श्री गंगानगर के नाम नामान्तरणकरण स्वीकार किया गया है।

अपीलांट द्वारा रिट याचिका संख्या 2950/1999 के बहाल होने की जानकारी पटवारी हल्का को दिनांक 22.03.2014 को दे दी थी और वादग्रस्त भूमि बैकों के पास रहन होने की सूचना भी दे दी थी। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के दौरान अपीलाधीन आदेश से इंतकाल स्वीकार किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि रेपोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पास अपीलांटस द्वारा रहन रखी जा चुकी थी और भूमि दोनों के पास रहन होने से अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक था जो नहीं दिया गया। मेरे विन्रम मत में रिट याचिका संख्या 2950/1999 के पुनः बहाल होने पर याचिका में जो स्थगन आदेश दिनांक 25.07.2001 को कनफर्म किया गया था, वह भी बहाल हो चुका था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा याचिका के बहाल होने की जानकारी पटवारी हल्का को दिनांक 22.03.2014 को दे दी थी और वादग्रस्त भूमि बैकों के पास रहन होने की सूचना भी दे दी थी। अपीलाधीन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नामान्तरणकरण सं0 654 चक 5 जी छोटी बावजूद विधिवत् सूचना के गैरकानूनी रूप से दिनांक 28–3–14 को स्वीकृत किया गया है। विवेचनाधीन नामान्तरणकरण में रेस्पोडेन्टस के हिस्से में दर्ज की गई भूमि को बिना किसी रहननामा निष्पादन आदेश अथवा संबंधित बैंक रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 की एन0ओ0सी0के बिना ही भूमि रहन दर्ज कर ली गई है, जो अवैधानिक है।

प्रस्तुत अभिलेख के आलोक में अपीलाधीन इंतकाल सं0 654 ग्राम 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर दिनांक 28–3–14 भूमि रहन रखी हुई होने के बावजूद भी भरा गया है। इस कार्यवाही से पूर्व भूमि रहन मुक्त होना या बैंक की अनापति प्राप्त करना वांछित था। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इंतकाल सं0 654 ग्राम 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर दिनांक 28–3–14 निरस्त किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन रिट याचिका सं0 2950/99 कृपालसिंह के विधिक उतराधिकारीगण बनाम स्टेट व अन्य में भावी निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 29–06–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।